संख्या:सीएस/सलाहकार(एचआरडी)/एपीएआर/2009-10

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
गोपनीय प्रकोष्ठ
सलाहकार(एचआरडी) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2010

सेवा में,

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल/एमटीएनएल/टीसीआईएल
2. सचिव, टीआरएआई
3. वरिष्ठ उपमहानिदेशक, दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र
4. सभी मुख्यमहाप्रबंधक, बीएसएनएल
5. सभी उपमहानिदेशक (टीईआरएम)

महोदय,

विषय: वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को तैयार करना एवं उनका रखरखाव-लोक प्रशासन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता हेतु सभी प्रविष्टियों का सम्प्रेषण-आंकिक ग्रेडिंग हेतु एपीएआर प्ररूप में आवश्यक संशोधन करना।

अधोहस्ताक्षरी को एसएजी, जेएजी, एसटीएस, जेटीएस एवं टीईएस समूह ख के एपीएआर के नए प्ररूप की दो प्रतियाँ (मूल रूप से) संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 जुलाई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 21011/1/2005-स्थापना(ए)(भाग-II) के निर्देशानुसार, वर्ष 2009-10 से दूरसंचार मुख्यालय में अपनाया जा रहा है। उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है।

2. ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के साथ लगे अनुबंध-III की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें एपीएआर को तैयार करने/पूरा करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय अनुसूची स्पष्ट की गई है इस अनुसूची के अनुसार, जहाँ स्वीकार्य प्राधिकारी नहीं हैं, एपीएआर लिखने का कार्य वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई तक अवश्य ही पूरा हो जाना चाहिए। जहाँ स्वीकार्य प्राधिकारी हैं वहाँ एपीएआर लिखने का कार्य वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक अवश्य ही पूरा हो जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, संबंधित कर्मचारी को एपीएआर दिखाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.5.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप सभी कार्रवाई पूरी करने के बाद, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित नए प्ररूप में वर्ष 2009-10 की एपीएआर 31 जुलाई/31 अगस्त, 2010 दूरसंचार मुख्यालय को अवश्य ही भेजी जानी चाहिएं। इस संबंध में इस कार्यालय के दिनांक 16.3.2010 के पत्र का संदर्भ लें (प्रति संलग्न है)।

जारी------2/-

रश्मि

170/DC(T)
27/4

3. सभी संबंधितों के ध्यान में यह बात भी लाई जाए कि एपीएआर दो प्रतियों में भरी जाए, उसकी रिपोर्टिंग की जाए तथा समीक्षा तैयार की जाएं- एपीएआर की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दिखाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.5.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप सभी कार्रवाई पूरी करने के बाद दूरसंचार मुख्यालय को भेजी जाए और दूसरी प्रति सर्किल प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए सर्किल एसीआर डोजियर में रखी जाए। कृपया यह भी ध्यान दिया जाए कि एपीएआर संबंधित व्यक्ति को दिखाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.5.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप सभी कार्रवाई पूरी करने के संबंध में एक प्रमाण पत्र भी नए प्ररूप में संलग्न किया गया है। इसलिए अनुरोध है कि दूरसंचार मुख्यालय को एपीएआर की प्रति भेजते समय सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रमाण पत्र को पूरी तरह से भरा जाए ताकि बाद में विभिन्न फील्ड इकाइयों से एपीएआर प्रमाणपत्र संबंधी कठिनाईयों को दूर किया जा सके । इस प्रमाण पत्र के न होने पर दूरसंचार मुख्यालय द्वारा एपीएआर को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों को कृपया सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय,

(आर.आर.तिवारी)
निदेशक (स्टाफ)

संलग्न:यथोक्त

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (आईटी) दूरसंचार विभाग, दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर एपीएआर की कलर स्कैन्ड प्रतियों सहित पोस्टिंग हेतु।